UPRN010036772024

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कोर्ट सं०–3, कानपुर–देहात।
पीठासीन अधिकारी–(पारुल श्रीवास्तव), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–
सत्र वाद संख्या 1174 सन् 2024

सरकार बनाम शैलेन्द्र उर्फ शैलेश आदि।

अपराध सं०–23/2024
धारा–498A, 304B,201,302/34 भारतीय दंण्ड संहिता
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–रेउना, कानपुर नगर।

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	1. श्री आशीष कुमार विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)
अभियुक्तगण	1. शैलेन्द्र उर्फ शैलेश पुत्र कल्लू निवासी ग्राम कटरी, थाना रेउना, जिला कानपुर नगर 2. मैना पुत्री रामबाबू निषाद निवासी ग्राम भागलापुर, थाना चांदपुर, जिला फतेहपुर
प्रतिनिधित्व	1. सु०श्री वंदना गुप्ता
घटना की तिथि व समय	02.02.2024, अज्ञात
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि व समय	05.02.2024, 20.59 बजे
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	15.10.2024
निर्णय की तिथि	22.07.2026

अभियोजन, अभियुक्त एवं न्यायालय साक्षियों की सूचीः

(1) **अभियोजन पक्षः**

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य का प्रकार
PW1	रामबाबू	तथ्य का साक्षी/मृतका का पिता/वादी मुकदमा

PW2	पार्वती	तथ्य की साक्षी/मृतका की माता
PW3	महिला कां० नीरज	औपचारिक साक्षी
PW4	आशीष पटेल, नायब तहसीलदार	औपचारिक साक्षी
PW5	डा० आर०एस० यादव	औपचारिक साक्षी
PW6	देवनरायन	तथ्य का साक्षी
PW7	शिवम उर्फ शिवओम	तथ्य का साक्षी
PW8	रंजीत कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त कुमार	औपचारिक साक्षी/विवेचक

(2) **बचाव पक्षः**

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य का प्रकार
DW1	राधेश्याम	तथ्य का साक्षी
DW2	गयावती	तथ्य की साक्षी

अभियोजन, अभियुक्त एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः
(1) **अभियोजन पक्षः**

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रकार/प्रपत्र
1.	EX P–1/PW1	मूल तहरीर
2.	वस्तु प्रदर्श –1/PW1	शादी का कार्ड
3.	EX P–2/PW3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4.	EX P–3/PW3	कायमी जी०डी०
5.	EX P–4/PW4	पंचायतनामा
6.	EX P–5/PW5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
7.	EX P–6/PW8	नक्शा नजरी
8.	EX P–7/PW8	शव बरामदगी स्थल की नक्शा नजरी
9.	EX P–8/PW8	आरोप पत्र

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र वाद, पुलिस थाना रेउना, जिला–कानपुर नगर द्वारा मुकदमा अपराध सं०–23/2024, धारा–498 ए, 304 बी, 201 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

माननीय सत्र न्यायालय के आदेश से इस न्यायालय को विचारण हेतु पत्रावली प्राप्त हुई, जिसके आधार पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना के विरुद्ध धारा– 498ए, 304बी, 201 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में इस न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामबाबू निषाद द्वारा थाना प्रभारी, थाना रेउना, कानपुर नगर को टाइपशुदा तहरीर दी गयी कि "प्रार्थी की लडकी सुनैना देवी की शादी शैलेन्द्र पुत्र कल्लू निषाद कटरी थाना रेउना कानपुर नगर में अप्रैल 2017 इसी के साथ हुई थी। पांच साल तक दोनों आदमी प्रेम से रहते थे और जब से प्रार्थी राम बाबू की छोटी लडकी मैना देवी से शैलेन्द्र का अवैध सम्बन्ध हो गया। इस अवैध सम्बन्ध को पांच छः महीने हुए थे तब से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा। प्रार्थी की लड़की सुनैना देवी को मारपीट करने लगा और ठीक से नही रखता था और 2/2/2024 को प्रार्थी के घर पर फोन आया कि आपकी लड्की कही चली गयी। जब प्रार्थी उनके घर कटरी आये तो बोले कहीं भाग गयी है। वे लोग उसकी खोजबीन करें और प्रार्थी खोज बीन करता रहा जब घर पहुँचा तो फिर 4/2/2024 को फोन आया कि लडकी जाल में फंस गयी और जमुना में मिली है। प्रार्थी को पूरा विश्वास है कि उसकी लडकी को शैलेन्द्र पुत्र कल्लू, मैना देवी, हीरा लाल पुत्र कल्लू, पन्ना लाल पुत्र कल्लू इन सब लोगों ने उसकी लडकी सुनैना देवी को जान से मार कर जमुना में फेंक दिया" प्रार्थी द्वारा जाँच कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

3. मुकदमा वादी की हस्तलिखित तहरीर के आधार पर अंतर्गत धारा–498ए, 304बी, 201 भा.दं.सं. व 3/4 डी० पी० एक्ट, के अपराध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी बनाया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा– 498ए, 304बी, 201 भा.दं.सं. व 3/4 डी० पी० एक्ट में प्रेषित किया गया।

4. उपरोक्त अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 498ए, 304बी, 201 भा.दं.सं. व 3/4 डी० पी० एक्ट आरोप व 302/34 भा.दं.सं. का वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की माँग की। अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ हुआ।

5. अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. में अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि उनके ऊपर गलत आरोप लगा है। साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उनके विरुद्ध रंजिशन गांव वालों के बहकावे में आकर मुकदमा लिखाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देना कहा गया है।

6. अभियोजन द्वारा दाखिल साक्ष्य व उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी सं०-01/वादी मुकदमा रामबाबू को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि उसकी दो बेटियाँ थी। बडी बेटी का नाम सुनैना देवी था व छोटी बेटी का नाम मैना देवी है। बड़ी बेटी सुनैना देवी का विवाह दिनांक 28-04-2017 दिन शुक्रवार को शैलेन्द्र उर्फ शैलेश पुत्र कल्लू निवासी ग्राम कटरी थाना रेऊना जिला कानपुर नगर के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर शादी की थी। शादी के बाद लगभग चार पाँच साल तक कोई विवाद नही हुआ लेकिन इसी बीच उसकी छोटी बेटी मैना देवी का आना जाना अपनी बडी बहन सुनैना देवी के यहाँ बना रहा और मृत्यु के लगभग पाँच छ: महीने पहले से दमाद शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के साथ छोटी बेटी मैना देवी के अवैध संबंध हो गये थे जिसके परिणाम स्वरूप शैलेन्द्र उर्फ शैलेश ने बड़ी बेटी सुनैना देवी को अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये नकद व एक मोटरसाइकिल की मांग करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी सुनैना देवी से शैलेन्द्र उर्फ शैलेश द्वारा बार बार उक्त मांग की पूर्ति कि लिए कहे जाने पर सुनैना देवी ने उसे जब यह बात बतायी तो वह शैलेन्द्र के घर गया और जाकर कहा कि आपकी माँग एक लाख रूपये व एक मोटरसाइकिल की पूर्ति वह नही कर पायेगा तब शैलेन्द्र उर्फ शैलेश ने कहा कि यदि मांग पूरी न करोगे तो उसकी बेटी सुनैना देवी को जान से मार देगा। समझा बुझाकर मैं अपने घर वापस आ गया फिर चार पाँच दिन बाद दिनांक 02-02-2024 को कटरी गांव से किसी व्यक्ति का फोन आया। फोन पर उसने बताया कि आपकी बेटी सुनैना देवी लापता है। सूचना पाकर वह अपने लड़कों के साथ कटरी गांव गया था। वहाँ पर पहले घर में पूछताछ की फिर लड़की की खोजबीन की लड़की नही मिली तब वापस घर लौट आया तब दो तीन दिन बाद में सूचना मिली कि उसकी लड़की की लाश जमुना नदी में मछुवारों के जाल में फंसी हुयी मिली है। सूचना पाकर फिर वह अपने घर परिवार व गांव के कुछ लोगो के साथ कटरी गया और वहाँ लाश देखी थी। लाश नदी के बाहर पुलिस ने निकलवाकर रखी थी जिसको बाद में कटरी गांव में बने पंचायतघर में रखवायी थी। उसके बाद वह थाना रेऊना में रिपोर्ट लिखवाने चला गया था। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद वह फिर वापस पंचायतघर आया जहाँ लाश का पंचनामा हो चुका था। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जा रही थी। वह भी पोस्टमार्टम हाउस साथ में गया था। रिपोर्ट में उसने शैलेन्द्र उर्फ शैलेश, मैना, हीरालाल व पन्नालाल के खिलाफ लिखायी थी। बाद में उसने पुलिस को अपनी बेटी सुनैना के शादी का कार्ड भी दिया था। पत्रावली में संलग्न तहरीरी प्रार्थना पत्र गवाह को दिखाया गया। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो उसने स्वयं लिखकर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाना रेऊना में दिया था जिस पर **Ex P-1** डाला गया। शादी कार्ड पर **वस्तु प्रदर्श-1** डाला गया। पुलिस को घटनास्थल भी दिखाया था जहाँ पर बेटी की लाश मिली थी और सुनैना देवी के ससुराल का घर भी दिखाया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लिया था। मैना वर्तमान में शैलेन्द्र के साथ पत्नी के रूप में रह रही है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या-2 पावर्ती (मृतका की माँ) को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी पुत्री सुनैना जो अपनी ससुराल में अपने पति शैलेश के साथ रहती थी जो किसी बात से नाराज होकर कहीं चली गयी थी। दो दिन बाद सूचना मिली थी कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी है। सूचना मिलने पर वे लोग अपनी पुत्री के ससुराल ग्राम कटरी थाना रेउना गये थे जहाँ पर उसकी पुत्री मृत अवस्था में पंचायत घर के सामने रखी मिली थी। उसे जानकारी नही है कि उसकी पुत्री कैसे मरी है और किसने मारा है। पुलिस ने उसका कोई बयान नही लिया था।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–3 महिला कां० नीरज को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि– दिनांक 05–02–2024 को वह थाना रेऊना में कां० क्लर्क के पद पर कार्यरत थी और इसी दिन वादी मुकदमा रामबाबू निषाद की हस्तलिखित तहरीर पर तत्कालीन थानाध्यक्ष के लिखित आदेश के आधार पर उसने अभियुक्तगण शैलेन्द्र कुमार, हीरालाल, पन्नालाल व मैना देवी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 23/2024 अंतर्गत धारा 498A, 304B, 201 IPC & 3/4 DP Act में CCTNS पर कार्यरत कां० 3707 सचिन कुमार से बोल बोलकर पंजीकृत करायी थी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने पंजीकृत करायी थी वह पत्रावली में शामिल मिसिल है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर **EX P–2** डाला गया जिसकी कायमी उसने इसी दिन थाने की जी०डी० नम्बर 26 पर समय 20:59 बजे की थी। कायमी जी०डी० पर **EX P–3** डाला गया। कायमी जी०डी० की कम्प्यूटर प्रमाणित प्रति आज वह साथ में लेकर आयी है और पत्रावली पर दाखिल कर रही है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–4 आशीष पटेल नायब तहसीलदार को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि– दिनांक 05–02–2024 को वह तहसील घाटमपुर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। दिनांक 05–02–2024 को थाना रेउना के उपनिरीक्षक आयुष कुमार द्वारा उसे सूचना दी गयी थी कि ग्राम कटरी में जमुना नदी में मृतका सुनैना का शव पड़ा है। सूचना पाकर वह घटना स्थल पर पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु पहुँचा था। घटनास्थल पर उपनिरीक्षक आयुष कुमार महिला कां० विजय कुमारी, कां० दीपक चौधरी व गांव के काफी लोग मौजूद थे। मौके पर मौजूद कल्लू, गोपाल, सैयादीन और पुष्पेन्द्र सिंह को पंचान नियुक्त कर उसने पंचायतनामा की कार्यवाही समय लगभग 11:00 AM पर शुरू की थी। महिला कां० ने शव को उलट पलट कर देखा था तथा शव को सील सर्वमोहर करके महिला कां० विजय कुमारी व कां० दीपक चौधरी को पोस्टमार्टम हेतु सुपुर्द किया था। पंचायतनामा की सारी कार्यवाही उसने मौके पर ही की थी तथा राय पंचान के हस्ताक्षर बनावाये थे, निशानी अंगूठा लगवाया था। उसने भी अपनी राय स्पष्ट रूप से लिखी थी। पंचायतनामा पत्रावली में शामिल मिसिल है जिस पर उसके हस्ताक्षर बने है। पंचायतनामा पर **EX P–4** डाला गया।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–5 डा० आर०एस० यादव को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि–दिनांक 06–02–2024 को उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर में थी। इसी दिन थाना रेउना की महिला कां० विजय कुमारी और सी०पी० दीपक चौधरी मृतका सुनैना का सील सर्वमोहर शव पोस्टमार्टम हेतु लाये थे। उसने मृतका सुनैना उम्र 28 वर्ष के पोस्टमार्टम की कार्यवाही 11:15AM से प्रारम्भ करके 11:55 AM पर समाप्त की थी।

वाह्य परीक्षण– मृतका की लम्बाई 148 CM औसत कद काठी थी। मृतका के शरीर पर साडी, ब्लाउज, पेटीकोट, स्वेटर मौजूद थे तथा कान में एक जोडी टाप्स पीले कलर के व गले में मोती की माला थी। मृतका के शरीर पर मृत्यु के बाद की आने वाली अकडन मृतका के शरीर से पूरी तरह से पास हो चुकी थी। मृतका का शरीर बदबूदार था तथा पूरे शरीर में जगह जगह स्किन उधड़ी हुयी थी तथा शरीर में कही कही फंगल इंसफेक्सन पनप रहा था। पेट फूला हुआ था, ग्रीन एल्गी, grass, vegitations आदि कही कही मौजूद थी। मृतका के सिर के बाल लूज थे और

मृतका के हाथ व हथेली व तलबे वासरमैन की तरह थे। मृतकी की दोनो आंखे सूजी हुयी बंद थी। मृतका का मुँह हल्का खुला था और लिप्स बाहर की तरफ फूले थे। मृतका के नाखून लूज थे।

<u>आंतरिक परीक्षण–</u> दिमाग की झिल्लिया कंजेस्टेड थी एवं दिमाग ल्यूकोफाइड (ढीला) हो गया था। दिमाग का वजन लगभग 1100 ग्राम का था। दाँत 16*16 थे। मृतका के मुँह के अंदर रेत एवं मिट्टी के कण मौजूद थे। मृतका की श्वाशनली कंजेस्टेड थी तथा रेत एवं मिट्टी प्रजेन्ट थी। मृतका के भोजन नली में रेत और मिट्टी के कण मौजूद थे। मृतका के श्वासनली में भी रेत और मिट्टी के कण मौजूद थे। मृतका के फेफडों से सटी हुयी झिल्ली में 200 ml लाल कलर का पदार्थ मौजूद था। मृतका के फेफडे दाहिना 470 gm एवं बांया 460 gm के थे तथा दोनो फेफडे फूले हुये थे। फेफडों को काटकर देखने पर उसके अंदर हवा के बबल एवं पानी मौजूद थे तथा कंजस्टेड भी थे। दिल साफ्ट हो गया था। दिल का वजन का 180 gm मुलायम एवं खाली था। मृतका का पेट फूला हुआ था। अमाशय का वजन 170gm था जिसके अंदर 50 gm तरल पदार्थ था। छोटी आंत में गैस व बडी आंत में गैस व मल मौजूद था। लीवर 1400 gm जो कंजस्टेड था तथा पित्त की थैली थोडी सी भरी थी। प्लीहा 145 gm एवं कंजस्टेड था। किडनी दाहिनी 150gm एवं बांयी 140 gm दोनो कंजस्टेड थी। पेशाब की थैली खाली थी। बच्चेदानी खाली थी। यूटेरस खाली था।

उसकी राय में मृत्यु का कारण स्पष्ट नही था इस कारण से सारे विसरा एवं स्टर्नम (छाती की हड्डी) फार डायटम्स एनालिसिस को जांच हेतु सुरक्षित रखकर भिजवाया गया था। सम्पूर्ण मेडिकल रिपोर्ट उसने स्वयं तैयार करके अपने हस्ताक्षर बनाये थे तथा आवश्यक कागजाद महिला कां० विजय कुमारी को प्राप्त कराये थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली में शामिल मिसिल है जिस पर उसके हस्ताक्षर बने है, पर **<u>EX P–5</u>** डाला गया।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–6 देव नरायन को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि–मृतका सुनैना उसकी भतीजी थी। रामबाबू उसके मौसी के लडके है। रामबाबू ने सुनैना की शादी आज से लगभग आठ साल पहले अप्रैल के महीने में शैलेश उर्फ शैलेन्द्र के साथ की थी। रामबाबू ने अपनी क्षमता के अनुसार दान दहेज दिया था। उसकी छोटी भतीजी मैना का आना जाना शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के यहाँ हो गया था। उसके सामने कभी भी शैलेन्द्र उर्फ व उसके घर वालो ने दहेज की मांग नही की थी। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–7 शिवम उर्फ शिवओम को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि–वह कक्षा 10 तक पढा है। मृतका सुनैना उसकी सगी बहन थी। सुनैना की शादी शैलेश उर्फ शैलेन्द्र के साथ आज से लगभग आठ साल पहले गर्मी के मौसम में हुयी थी। शादी में उसके पिताजी ने अपनी क्षमता के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के पाँच साल बाद तक सब कुछ ठीक ठाक था। उसके एक भांजा व एक भांजी भी है। उसकी माताजी का नाम पार्वती है। सुनैना अपनी ससुराल से साल छः महीने में उसके घर पर आती जाती थी। उसकी बहन ने अतिरिक्त दहेज मांगने की कोई भी बात उसे नही बतायी थी। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या–8 सहायक पुलिस आयुक्त रंजीत

कुमार को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि इस मुकदमें की विवेचना उसने दिनांक 06.02.2024 को ग्रहण की थी। इसी दिन केस डायरी का पर्चा सं०–1 किता किया था जिसमें नकल चिट, नकल रपट का अवलोकन कर केस डायरी में अंकित करते हुए एफ०आई०आर० लेखक महिला कां० नीरज का बयान अंकित किया था। पर्चा सं०–2 दिनांक 07.02.2024 को किता किया था जिसमें वादी मुकदमा रामबाबू का बयान अंकित करते हुए मौके पर जाकर वादी की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी अपने हस्तलेख में तैयार किया था जो पत्रावली में शामिल मिसिल है। नक्शा नजरी पर प्रदर्श P–6 डाला गया और उसी दिन शव बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया था जो पत्रावली में मौजूद है जिस पर प्रदर्श P–7 डाला गया। पर्चा नं०–3 दिनांक 08.02.2024 को किता किया था जिसमें मृतका सुनैना देवी का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी जिसका अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया था। **पर्चा सं०–4 दिनांक 10.02.2024 को किता किया था जिसमें थाना रेउना से जानकारी प्राप्त हुयी थी कि वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है।** गिरफ्तारी की सूचना के बाद वह थाना रेउना पहुँचा था और गिरफ्तारी मेमो व नकल रपट का अवलोकन कर अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश का बयान अंकित करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत करके रिमाण्ड प्राप्त किया था। पर्चा सं०–5 दिनांक 15.02.2024 को किता किया था जिसमें पंचायतनामा भरने वाले नायब तहसीलदार आशीष पटेल व पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर आर०एस० यादव का बयान अंकित किया था। पर्चा सं०–6 दिनांक 20.02.2024 में किता किया था। जिसमें मृतका की माँ पार्वती देवी व गवाहान शिवम व देवनारायन का बयान अंकित किया था। पर्चा सं०–7 दिनांक 29.02.2024 को किता किया था जिसमें घटनास्थल की फील्ड यूनिट रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी जिसका अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया था। पर्चा सं०–8 दिनांक 02.03.2024 को किता किया था जिसमें पंचायत गवाहान कल्लू, गोपाल, सैय्यादीन, वीरसिंह और पुष्पेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। केस डायरी का पर्चा सं०–09 दिनांक 07.03.2024 को किता किया गया था। **पर्चा सं०–10 दिनांक 13.03.2024 को किता किया गया था जिसमें थाना रेउना से अभियुक्ता मैना की गिरफ्तारी** की सूचना प्राप्त हुयी थी। थाना परिसर पहुँचकर नकल रपट व गिरफ्तारी मेमो का अवलोकन कर केस डायरी में अंकन करते हुए महिला कां० राज्यश्री की मौजूदगी में अभियुक्ता मैना देवी का बयान अंकित करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत करके रिमाण्ड प्राप्त किया। पर्चा सं०–11 दिनांक 15.03.2024 को किता किया था जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर द्वारा सुरक्षित किये गये विसरा को एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु झांसी में दाखिल कराया था। पर्चा सं०–12 दिनांक 21.03.2024 को, पर्चा सं०–13 दिनांक 27.03.2024 को किता किया था। पर्चा सं०–14 दिनांक 29.03.2024 को किता किया था जिसमें मृतका का पोस्टमार्टम कराने वाली महिला कांस्टेबल विजय कुमारी का बयान अंकित करते हुए उक्त निरीक्षक आयुष कुमार का बयान अंकित किया था। पर्चा सं०–15 दिनांक 09.04.2024 को किता किया था। पर्चा सं०–16 दिनांक 12.04.2024 को किता किया था जिसमें शपथकर्तागण रामगोपाल, राधेश्याम, रामरती, रामकिशुन, रामजानकी, रामफूल, श्रीमती रामबेटी, रामखिलावन, फूल सिंह के शपथ पत्र प्राप्त हुये थे जिनका अवलोकन कर केस डायरी में अंकन करते हुए केस डायरी में संलग्न किया था और शपथकर्तागणों के बयान भी अंकित किये थे। अब तक की प्राप्त विवेचना में अभियुक्तगण हीरालाल और पन्नालाल की नामजदगी गलत पायी थी और इन दोनों अभियुक्तगणों का नाम विवेचना से पृथक किया था। पर्चा सं०–18 दिनांक 22.04.2024 को किता किया था। पर्चा सं०–19 दिनांक 24.04.2024 को किता किया था

जिसमें प्राप्त दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था जो पत्रावली में शामिल मिसिल है। आरोप पत्र पर उसके हस्ताक्षर बने हैं। आरोप पत्र पर प्रदर्श P–8 डाला गया।

15. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी संख्या–1 राधेश्याम को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि घटना दिनांक 02-02-2024 की है। सुनैना को तीर (नदी के किनारे) के किनारे जाते देखा था। सुनैना के हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल थी। वह सुबह सुबह तीर की तरफ शौच के लिए जाता है तभी उसने सुनैना को देखा था। लगभग 6:30 बजे सुबह देखा था। वह वहाँ पर लगभग आधा घंटा रहा था तब तक सुनैना को वापस आते नही देखा था। सुनैना मोहल्ले की है लगभग 4-6 घर आगे पीछे रहती थी। सुनैना के गायब होने की सूचना लगभग 2:00-2:30 घण्टे बाद मोहल्ले में फैली तो उसे जानकारी हुयी। मोहल्ले वालो से चर्चा होने पर उसने भी बताया था कि तीर की तरफ उसने जाते देखा था। शैलेन्द्र के भाई हीरालाल, शैलेन्द्र, वह व मोहल्ले के दो तीन लोग सुनैना को ढूढने निकले थे। सुनैना के न मिलने पर मायके फोन करके जानकारी की गयी कि अगर सुनैना वहाँ हो तो बताये, सुबह घर से निकली है घर वापस नही आयी। सुनैना के मायके से जवाब मिला कि यहाँ नही आयी, आप तलाश करिये। फिर उसी दिन सुनैना के पिता जी कटरी आये थे फिर थाने पर सूचना देने गये थे तो कहा गया कि जाओ अपनी रिश्तेदारियों में तलाश करो अभी रिपोर्ट वह नही लिखेंगे। फिर वे लोग थाने से वापस आ गये थे और रिश्तेदारियों में फोन होता रहा। दूसरे दिन पुन: वह, हीरालाल व शैलेन्द्र थाने गये थे परन्तु दूसरे दिन भी सुनैना की गुमशुदगी दर्ज नही की गयी थी और वे लोग थाने से वापस आ गये थे। तीसरे दिन वे लोग फिर थाने पहुँच गये थे तभी थाने पर ही उन लोगो के पास सूचना आ गयी थी कि सुनैना की लाश नदी में मछुवारों के जाल में फंस गयी है। यह जानकारी होने पर शैलेन्द्र को थाने पर रोककर बाकी लोग थाने से वापस चले आये थे।

16. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी संख्या-2 गयावती को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ बयान दिया है कि सुनैना को वह जानती है। सुनैना उसकी पडोस की बहू थी। सुनैना शैलेन्द्र की पत्नी थी। सुनैना की मृत्यु हो चुकी है। सुनैना लैट्रीन गयी थी और वही जमुना जी में डूब के मर गयी थी। सुनैना से उसकी बातचीत होती थी। सुनैना ने उसे कभी यह नहीं बताया था कि शैलेन्द्र व उसके घर वाले दहेज की बात करते है। सुनैना को शैलेन्द्र कभी दहेज के लिए मारता पीटता नही था। जिस दिन सुनैना गायब हुई थी उस दिन सुबह लगभग 6:00 बजे हुयी थी। सुनैना ने बोला था कि चलो चाची लैट्रीन हो आये तो उसने कहा कि वो अभी नही जायेगी। शाम को 6:00 बजे लगभग उसे जानकारी हुयी थी कि सुनैना गायब हो गयी है। उसकी लाश दो दिन बाद मिली थी। यह घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है। मैना सुनैना के घर में नही रहती थी। जब मम्मी पापा आते थे तो उन्ही के साथ सुनैना आती थी और उन्ही के साथ चली जाती थी। सुनैना की लाश मिलने के बाद पुलिस आयी थी। उससे भी पूछा था जितना उसने देखा था उतना बता दिया था।

17. मैंने उभयपक्षों को सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

18. विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उनके द्वारा यह सुस्थापित है कि अभियुक्तगणों द्वारा अपने अवैध संबंधों के कारण मृतका को अपने मध्य से हटाने के लिये मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग की, उसके हेतुक उसका उत्पीड़न किया गया तथा उसी क्रम में उसकी हत्या कारित करने के उद्देश्य से और साक्ष्य को छिपाने के आशय से उसको जमुना नदी में फेंक दिया गया। अतः प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप सिद्ध हैं, अतः अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध किया जाए।

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी छोटी पुत्री मैना देवी व उसके दामाद शैलेन्द्र के बीच अवैध संबंध के कारण उसकी बड़ी पुत्री/मृतका सुनैना देवी की हत्या कर शव को जमुना नदी में फेंक देने का उल्लेख किया है जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये हैं। अभियोजन पक्ष उक्त के संबंध में प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी के अभिकथनों में विरोधाभाष है और मृतका की माँ, भाई को स्वयं वादी(अभियोजन) द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। वादी की पुत्री की मृत्यु शौचक्रिया के दौरान जमुना में गिरने के कारण हुयी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

20. 1– 2016(93)ACC, Page No. 525 SC Rajiv Singh vs Bihar & others.

2– 2009(67)ACC, SC, Page No. 734, Dinesh Singh vs State of U.P.

उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है। उपरोक्त मामले में यह देखा जाना है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को अपने साक्ष्यों के द्वारा साबित करने में सफल रहा है या नहीं।

21. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजन के पास उक्त मुकदमा दायर करने का कोई हेतुक नहीं है। जिस स्थान का घटनाक्रम प्रदर्शित किया गया है अभियुक्तों के घर मृतका की मृत्यु नहीं हुयी बल्कि जमुना में डूबने से हुयी। जहाँ वर गिर गयी। अभियुक्तों द्वारा मृतका को कभी न तो प्रताड़ित किया गया न ही उसे डुबाकर मारा गया। वादी मुकदमा द्वारा झूठा फंसाया गया है। वास्तव में उक्त मामले में वादी की पुत्री की मृत्यु शौचक्रिया के दौरान जमुना में गिरने से हुयी, न की उसकी हत्या की गयी।

22. उक्त हेतुक के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **2013(81)ए०सी०सी० पृष्ठ 302 (एस०सी०) सनाउल्लाह खान बनाम स्टेट आफ बिहार** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि जहां पर अन्य परिस्थितियां केवल यह निष्कर्ष देती है कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है वहां पर न्यायालय केवल इस आधार पर अभियुक्त को अपराध से दोषमुक्त नहीं कर सकती कि अपराध को कारित करने का हेतुक मामले में साबित नहीं हुआ है।

23. **1992 सी०आर०एल०जे पृष्ठ 861(एस०सी०) सखाराम बनाम स्टेट आफ एम०पी०, (1998)9 एस०सी०सी० पृष्ठ 238 नथुनी यादव बनाम स्टेट आफ बिहार, (1999)4 एस०सी०सी० पृष्ठ 370 स्टेट आफ एच०पी० बनाम जीत सिंह तथा 2001(2) जे०आई०सी० पृष्ठ 981 (एस०सी०) रविन्दर कुमार बनाम स्टेट आफ पंजाब** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि जहां पर अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक कड़ी होता है, लेकिन यदि अभियोजन पक्ष हेतुक को साबित नहीं कर पाता है तो केवल यह अभियोजन कथानक को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।

24. इस मामले में अभियोजन द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगणों के मध्य प्रेमप्रसंग होने के कारण उनके द्वारा पीड़िता/मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या करने के उद्देश्य व साक्ष्य छिपाने के आशय से उसे जमुना नदी में फेंक दिया गया।

25. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि उक्त घटनाक्रम को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं वह वादी है, वादी की पत्नी है, वादी का पुत्र है व वादी का भाई है जो इस मामले में हितबद्ध हैं। वादी स्वयं मृतका का पिता है। मृतका के ससुराल पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। अतः वादी के साक्ष्य के समर्थन में स्वतंत्र साक्षी न होने के कारण उस घटनाक्रम को पूर्णतः ग्राहय नहीं किया जा सकता।

26. परन्तु जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाः– **1– प्रमोद कुमार बनाम स्टेट आफ दिल्ली AIR 2013 SC 3344, 2–मुकेश बनाम स्टेट आफ एन०सी०टी० आफ दिल्ली व अन्य AIR 2013 SC 2161.**

प्रथमतः उक्त मामला दहेज की मांग को लेकर हत्या से संबंधित है तथा दहेज हत्या एक परिवार के अंदर कारित घटनाक्रम है। जिसमे प्रथमतः परिवार के व्यक्ति ही साक्षी के रूप में सामने आते हैं और उसमें भी माता पिता जिनसे पीड़िता ससुराल में घटित हो रहे हर घटनाक्रम को बताती व साझा करती है।

इस मामले में मृतका के पिता द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि उसके दामाद शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व उसकी छोटी पुत्री मैना देवी के बीच अवैध संबंध हो गया था। जिसको लेकर दहेज की मांग की जाने लगी थी व उसकी पुत्री की हत्या कर दी गयी। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिता द्वारा अपनी स्वयं की छोटी पुत्री मैना देवी का नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करवाया गया है। उपरोक्त प्रकरण अत्यंत निजी परिवेश में घटित घटना, एक भयंकर घटनाक्रम है जिसमें अवैध संबंध, दहेज व हत्या के अपराध सम्मिलित हैं।

27. बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि गवाहों के अभिकथनों में विरोधाभाष है जो घटना को वर्णित तथ्यों के आधार पर घटित होने को संदिग्ध करता है। एक तरफ वादी मुकदमा दहेज मांगने की बात का उल्लेख करता है वही दूसरी तरफ अपने दामाद शैलेन्द्र उर्फ शैलेश तथा अपनी छोटी पुत्री मैना देवी के अवैध संबंधों का भी वर्णन करता है। गवाहों के बयानों में विरोधाभाष आने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **AIR 1983(SC) Page 753 Bharwada Bhogin**

Bhai, Hirji Bhai vs Gujrat के मामले में अवधारित किया है कि तुच्छ एवं महत्वहीन विरोधाभाषों पर न्यायालय को बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि किसी साक्षी से चित्रवत याददाश्त की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिससे वह अपनी चित्रवत याददाश्त के आधार पर घटना का वर्णन कर सके। वीडियो टेप की तरह मस्तिष्क घटनाओं का वर्णन नहीं कर सकता है। गवाहों को घटना का पूर्वाभास नहीं होता है। उन्हें घटना आश्चर्य के रूप में लगती है। मस्तिष्क घटना को विस्तृत रूप से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की घटना को ग्रहण करने की शक्ति अलग–अलग होती है। एक व्यक्ति किसी घटना की नोटिस ले सकता है जबकि दूसरा नहीं। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अक्षरशः बातचीत को याद नहीं रख सकता है। वह केवल बातचीत के मुख्य अंश को ही याद रख सकता है। कोई भी साक्षी मानव टेप रिकार्डर नहीं हो सकता है। घटना का समय या घटना कितने समय में कारित हुई सामान्यतः अनुमान के आधार पर ही बताता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के समयबोध पर निर्भर करता है, जो हर व्यक्ति का अलग–अलग हो सकता है। किसी साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह कम समय में घटित हुई घटना का क्रमिक वर्णन करे। प्रतिपरीक्षा के समय वह भ्रमित हो सकता है यद्यपि वह सत्य बोल रहा है। वह घटना के क्रम को भूल सकता है और काल्पनिक शक्ति से अंतरालों को भर सकता है। किसी साक्षी का अवचेतन मस्तिष्क भी कार्य कर सकता है।

28. भारतीय साक्ष्य अधिनियम **1872 की धारा 8** के अन्तर्गत अभियुक्त के आचरण के साक्ष्य के बारे में है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति का आचरण साक्ष्य विधि में के लिए बहुत महत्व रखता है क्योकि उसका दोषीमन प्रायः उसके आचरण विश्वसनीय रूप से जाहिर होता है। आचारण के साक्ष्य को क्यो महत्व दिया जाता है। इसका कारण बहुत ही सरल है। प्रत्येक व्यक्ति का आचारण उन बातो से प्रभावित होता है जो उसने की है चाहे आचरण उन बातो से पूर्व हुआ हो या बाद में। न्याय से भागना और ऐसे ही किसी अन्य आचारण के बारे में हमेशा यह धारण की है कि इसके दोषपूर्ण मन स्पष्ट होता है।

ए०आई०आर० 1998(सुप्रीम कोर्ट) पृष्ठ 107 पक्किरी सामी बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू के मामले में जिस व्यक्ति पर चोरी तथा हत्या का आरोप था वह वारदात के बाद लापता था इससे माननीय उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया कि वह दोषी था, क्योकि उसके पास लापता होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

2013 Cr.L.J.(S.C.) **मृत्युन्जय विश्वास बनाम प्रनव उर्फ कुती विश्वास** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में अभियुक्त घटना के बाद गांव से फरार हो गया। केवल गांव से फरार हो जाना दोषपूर्ण मन का आधार नहीं हो सकता है, क्योकि सह सुसंगत साक्ष्य है कि, जिसका मूल्यांकन अन्य साक्ष्य के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए इसका साक्ष्यिक मूल्य प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करे।

(2012)(4)**सी.सी.एस.सी पृष्ठ 222(सुप्रीम कोर्ट) श्याम घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** के मामले में अभियुक्त व्यक्ति घटना की तारीख के तत्काल पश्चात से ही फरार थे और पुलिस प्राधिकारी द्वारा विभिन्न छापों के बाबजूद उन्हे गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ा था उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि अभियुक्त का फरार होना

न केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप है, बल्कि यह उनकी और ही निश्चित संकेत करता है।

(2011)2 एस.सी.सी. पृष्ठ 490 रविन्द्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारतीय गणतंत्र के मामले में अभियोजन द्वारा पेश की गयी अन्य परिस्थिति यह थी कि –3 घटना के शीघ्र पश्चात से ही फरार हो गया और गिरफतारी को निवारित परिवर्जित किया। यह फरार होना साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अधीन आचारण है, इस लिए उसके दोष को साबित करने के लिए इसे अन्य साक्ष्य विचारण में लेना चाहिए। वह पर्याप्त कुछ समय से स्वयं को गिरफ्तार किये जाने तक उपलब्ध नहीं था। इस तथ्य को प्रतिरक्षा अधिवक्ता द्वारा भी विवादित नहीं किया गया था।

2010(61)ए.सी.सी.पृष्ठ 833(एस.सी.)सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनू शर्मा बनाम स्टेट आफ एन.सी.टी.आफ देलही के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि जहां पर अभियुक्त हत्या के बाद फरार हो गया है वहां पर ऐसे मामलो में अभियुक्त का आचारण धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सुसंगत है।

इस मामले में प्रारम्भ से ही अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश का व्यवहार संदिग्ध था। मृतका सुनैना के गायब होने की व मृत्यु की सूचना उसके द्वारा वादी को नहीं दी गयी। बल्कि गाँव वालों से प्राप्त हुयी व जब–जब वादी मुकदमा घटनास्थल पर पहुँचा अभियुक्त की उपस्थिति वादी मुकदमा द्वारा नहीं बतायी गयी है। बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के कई दिन बाद मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुयी है। घटना की कोई सूचना अभियुक्तगण द्वारा प्रारम्भ से ही पुलिस को नहीं दी गयी है जबकि एक मृतका का पति व दूसरी मृतका की सगी छोटी बहन है।

29. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर आरोप लगाया है कि प्रार्थी की लडकी सुनैना देवी की शादी शैलेन्द्र पुत्र कल्लू निषाद कटरी थाना रेउना कानपुर नगर में अप्रैल 2017 इसी के साथ हुई थी। पांच साल तक दोनों आदमी प्रेम से रहते थे और जब से प्रार्थी राम बाबू की छोटी लडकी मैना देवी से शैलेन्द्र का अवैध सम्बन्ध गया। इस अवैध सम्बन्ध को पांच छः महीने हुए थे तब से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा। प्रार्थी की लड़की सुनैना देवी को मारपीट करने लगा और ठीक से नही रखता था और 2/2/2024 को प्रार्थी के घर पर फोन आया कि आपकी लड्की कही चली गयी। जब प्रार्थी उनके घर कटरी आये तो बोले कहीं भाग गयी है। वे लोग उसकी खोजबीन करें और प्रार्थी खोज बीन करता रहा जब घर पहुँचा तो फिर 4/2/2024 को फोन आया कि लडकी जाल में फंस गयी और जमुना में मिली है। प्रार्थी को पूरा विश्वास है कि उसकी लडकी को शैलेन्द्र पुत्र कल्लू, मैना देवी, हीरा लाल पुत्र कल्लू, पन्ना लाल पुत्र कल्लू इन सब लोगों ने उसकी लडकी सुनैना देवी को जान से मार कर जमुना में फेंक दिया।

30. जहां तक धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रश्न है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में वर्णित किया गया है कि–दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पांच वर्ष के कारावास साथ में कम से कम पन्द्रह हजार रूपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

31. जहाँ तक धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनयम का प्रश्न है– धारा 4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम के अनुसार दहेज की मांग के लिए जुर्माना–यदि किसी पक्षकार के माता–पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम दो वर्षों के कारावास की सजा और दस हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

32. जहां तक धारा 498A भा०दं० संहिता का प्रश्न है। धारा 498A भा०दं०सं० में उल्लिखित किया गया है कि–"जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है:– (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है या,

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरूद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने को दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।"

33. जहां तक धारा 304B भा०दं०सं० का प्रश्न है। धारा 304B भा०दं० संहिता में यह उल्लिखित किया गया है कि–(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा।

34. जहां तक धारा 302 भा०दं०संहिता का प्रश्न है, के अनुसार–जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

35. जहां तक धारा 201 भा०दं० संहिता का प्रश्न है, के अनुसार–जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने के आशय से लुप्त कर देता है, या उस

आशय से उस अपराध के संबंध में कोई ऐसी जानकारी देता है जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है कि वह झूठी है;

यदि मृत्युदंडनीय अपराध – यदि वह अपराध, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है कि वह किया गया है, मृत्यु से दंडनीय है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

यदि आजीवन कारावास से दण्डनीय हो – और यदि अपराध आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से, दण्डनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

यदि दस वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय हो – और यदि अपराध दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय हो, तो उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की सबसे लम्बी अवधि के एक–चौथाई तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

36. **धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार**–जब कोई आपराधिक कार्यवाही कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके, सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया जो। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 वहीं लागू होती है जहां दो या उससे अधिक व्यक्ति विद्यमान हो और जहां दो कारको को अवश्य साबित किया जाना चाहिए। अर्थात अपराध में व्यक्तियों का सामान्य आशय और उनकी भागेदारी। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 प्रतिनिहित दायित्व को अंतरग्रस्त करती है और इसलिए यदि आशय साबित हो जाता है, किन्तु कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया जाता है तो धारा का आश्रय तब भी लिया जा सकता है। यह प्राविधान सामान्य विधि का एक अपवाद निर्मित करता है कि व्यक्ति अपने स्वयं कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, क्योकि यह प्राविधान कहता है कि कोई व्यक्ति अन्य के कार्य के लिए भी प्रतिनिहित ढंग से उत्तरदायी निर्णीत ठहराया जा सकता है, यदि उसका कार्य कारित करने का सामान्य आशय था।

वाक्यांश सामान्य आशय से अभिप्रेत है, कि पूर्व नियोजित योजना और उसी योजना के अनुसरण मे कार्य करना इस प्रकार सामान्य आशय समय बिन्दु में कार्य कारित करने से पूर्व विद्यमान होना चाहिए। एक विशिष्ट कार्य को प्रभावी करने के लिए सामान्य आशय तो यहां तक है कि दिये गये मामलों के तथ्यों के संदर्भ में कई व्यक्तियों के बीच क्षणिक आवेग में भी विकसित हो सकेगा। धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के भावा बोध में वे व्यक्ति भी कार्य करते हुए माने जाते है जो मात्र घटनास्थल पर खड़े रहते है, या घटना में घटित को प्रतिरक्षित करते है। सामान्य आशय के लिए अभियुक्तगण के मध्य पूर्व सहमति एवं पूर्व मानसिक मिलन आवश्यक होता है। जहां तक दोनों व्यक्ति घटना स्थल पर एक समय आते हो और एक ही साथ घटनास्थल को छोड़ते हो वहां पर सामान्य आशय की उपधारण की जा सकती है।

सामान्य आशय का निर्माण आक्रमण अथवा प्रहार के दौरान भी हो सकता है।

धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता की परिधि में किसी अभियुक्त को लाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य पूर्वनियोजित योजना के अग्रसरण में किया गया हो।

2011(12)एस.सी.सी. पृष्ठ 120 नन्द किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के परिक्षेत्र और क्षेत्र के साथ उसके प्रायोज्य का निम्न रूप से विवेचना किया था। इस धारा का मात्र अध्ययन ही यह दर्शित करता है कि धारा को निम्न प्रकार निम्न रूप में पृथक–पृथक किया जा सकता हैः–

(क) आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो।
(ख) ऐसा कार्य सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया हो।
(ग) ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक इस कार्य के लिए उस ढंग से उत्तरदायी होगा, मानो यह उसके द्वारा अकेले ही किया गया हो।

अन्य शब्द में ये तीनों आवश्यक तत्व न्यायालय के लिए अवधारित करने में न्यायालय के लिए मार्ग निर्देशित करेंगे कि क्या अभियुक्त धारा 34 की सहायता से दोष सिद्ध किये जाने के लिए उत्तरदायी है।

प्रथम दो कार्य ऐसे है जो अधिरोपित करने योग्य है और उन्हें अभियुक्त के कार्य होने के रूप में साबित किया जाना चाहिए। तीसरा उसका परिणाम है, यदि एक बार आपराधिक आशय साबित हो जाते है तो विधि की परिकल्पना द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कार्य को किए जाने का आपराधिक दायित्व उत्पन्न होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अनुसार आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए धारा के इस भाग में बल शब्द" किया गया" पर है। यह केवल उसी से उदभूत होता है कि व्यक्ति को धारा 34 के प्राविधानों का अनुसारण करके दोषसिद्ध किया जा सकेगा, उससे पूर्व उस व्यक्तियों को अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। आपराधिक कार्य को साबित करने में कुछ व्यक्तिगत भागीदारी की अपेक्षा होगी। इस लिए धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता की सहायता से आरोपित सम्पूर्ण समूह का प्रत्येक सदस्य उस सम्पूर्ण कार्य में भागीदार होना चाहिए जो उनके संयुक्त क्रिया कलापों का परिणाम है।

धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन प्रत्येक व्यक्ति अपराध, उस आपराधिक कार्य से सम्बन्धित होता है जो शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से दोनो ही रूप में अपराध गठित करता है। वह न केवल उसमें भागीदार होता है जिसे सामान्य कार्य के रूप में वर्णित किया गया हो, बल्कि उसमें भी भागीदार होता है जिसे सामान्य आशय के रूप में वर्णित किया जा सकता है और इसलिए इन दोनो सम्बन्धों में उसकी व्यक्तिगत भूमिका गम्भीर खतरे में रखी जाती है। यद्यपि हो सकता था कि वह व्यक्ति की भूमिका उस सामान्य योजना का भाग हो जिसमें अन्य लोगो भी संयुक्त हुए हो और वह भूमिका सामान्य आशय की हो फिर भी सामान्य आशय निर्दिष्ट करते हुए उसको उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

न्यायालय को एक तरफ सामान्य आशय तथा दूसरी तरफ दुराशय के बीच विद्यमान स्पष्ट अन्तर को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए जैसा कि दाण्डिक न्याय शास्त्र में समझा गया है। धारा 34 आन्वयिक अपराधिक दायित्व से भी सम्बन्धित है। यदि सामान्य आशय आरोपित दाण्डिक

अपराध कारित करने को निर्दिष्ट करता है तो सामान्य आशय में भागीदार करने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक उनमें से एक के द्वारा किये गये आपराधिक कार्यो के लिए आन्वयिक रूप से उत्तरदायी है।

एक अन्य पहलू जिसे न्यायालय को ऐसे मामलो पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिए वे यह है कि सामान्य आशय या मानसिक स्थिति एवं शारीरिक कार्य दोनो ही स्थल पर कार्य रूप में परिणित हो सकते है और आवश्यक रूप से ऐसे अपराध को कारित करना हो सकता है जो कि पूर्व निर्धारित योजना का परिणाम न हो, सदैव मामलों के तथ्य एवं परिस्थितियो पर निर्भर करेगा।

उपरोक्त मामले में स्वयं वादी मुकदमा जो अभियुक्ता मैना देवी का पिता है के द्वारा स्वयं की पुत्री व अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के मध्य अवैध संबंध व उसकी वजह से मृतका पुत्री सुनैना से दहेज मांगना व प्रताड़ित करना कहा है व हत्या करना कहा है। इससे पूर्व मृतका व अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के मध्य प्रेम पूर्ण संबंध की बात स्वीकार की है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्ता मैना देवी की गिरफ्तारी अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के घर से हुयी है।

37. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम साक्षी/वादी मुकदमा रामबाबू को पी०डब्लू०–01 के रूप में परीक्षित कराया गया। साक्षी रामबाबू द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि शादी के बाद लगभग चार पाँच साल तक कोई विवाद नही हुआ लेकिन इसी बीच उसकी छोटी बेटी मैना देवी का आना जाना अपनी बडी बहन सुनैना देवी के यहाँ बना रहा और मृत्यु के लगभग पाँच छः महीने पहले से दामाद शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के साथ छोटी बेटी मैना देवी के अवैध संबंध हो गये थे। जिसके परिणाम स्वरूप शैलेन्द्र उर्फ शैलेश ने बड़ी बेटी सुनैना देवी को अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये नकद व एक मोटरसाइकिल की मांग करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी सुनैना देवी से शैलेन्द्र उर्फ शैलेश द्वारा बार बार उक्त मांग की पूर्ति कि लिए कहे जाने पर सुनैना देवी ने उसे जब यह बात बतायी। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश को समझाया गया था। शैलेश द्वारा उपरोक्त मांग पूरी न करने पर उसे जाने से मारने को कहा गया था। चार पाँच दिन बाद दिनांक 02–02–2024 को कटरी गांव से किसी व्यक्ति का फोन आया। फोन पर उसने बताया कि आपकी बेटी सुनैना देवी लापता है। सूचना पाकर वह अपने लड़कों के साथ कटरी गांव गया था। वहाँ पर पहले घर में पूछताछ की फिर लड़की की खोजबीन की लड़की नही मिली, तब वापस घर लौट आया। तब दो तीन दिन बाद में सूचना मिली कि उसकी लड़की की लाश जमुना नदी में मछुवारों के जाल में फंसी हुयी मिली है। कटरी गांव में बने पंचायतघर में रखवायी थी। उसके बाद वह थाना रेऊना में रिपोर्ट लिखवाने चला गया था। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद वह फिर वापस पंचायतघर आया। जहाँ लाश का पंचनामा हो चुका था। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जा रही थी। वह भी पोस्टमार्टम हाउस साथ में गया था। रिपोर्ट में उसने शैलेन्द्र उर्फ शैलेश, मैना, हीरालाल व पन्नालाल के खिलाफ लिखायी थी।

उक्त गवाह द्वारा जिरह में कहा गया है कि उसके कुल चार बच्चे हैं। दो लड़के व दो लड़कियाँ हैं। सबसे बड़े लडके का नाम शिवम है। उसके बाद सुनैना देवी, उसके बाद दीपक कुमार, उसके बाद मैना देवी है। वह किसानी का काम करता है। उसके पास करीब आठ बीघा खेती है। कुछ सिंचित है कुछ असिंचित है। साल में चालीस पचास हजार रूपये पैदा कर लेता है।

सबसे पहले बडे लड़के शिवम की शादी हुयी थी। शिवम की शादी में नकद बीस हजार रूपये, बर्तन आदि समान मिला था। बाद में स्प्लेन्डर गाडी भी मिली थी। शादी में गाडी व समान दहेज में तय होकर मिली था। इस लड़के की शादी के बाद उसने अपनी बेटी सुनैना की शादी तीन साल बाद की थी। शैलेश के परिवार को पहले से नही जानता था किसी ने परिचय करवाया था। शादी में मध्यस्थता करने वाले का नाम बदलू था। जब उसने अपनी बेटी सुनैना की शादी शैलेश के साथ की थी तब उस समय शैलेश के माता पिता जीवित थे और आज भी जीवित है। मध्यस्थ बदलू उसका रिश्तेदारी में बहनोई लगता है। मध्यस्थ बदलू का गाँव उसके गाँव से लगभग 40 km दूर है। उसके दामाद शैलेन्द्र का गाँव बदलू के गाँव से लगभग 25- 26 km दूर है। शादी तय करने के लिये शैलेन्द्र के घर पर वह, बदलू व गयारीलाल दो बार गये थे। लड़के की तरफ से शादी तय करने के दौरान लगभग 25 लोग थे। उसकी बेटी की शादी बिना शर्त के तय हुई थी। उसकी बेटी की मृत्यु फरवरी 2024 में हुई थी। शादी के बाद उसकी बेटी अपनी पति के साथ पांच साल तक आपस में प्रेमपूर्वक रह रहे थे। इस मुकदमा लिखने के पहले उसने कभी कोई शिकायत पुलिस से अपने दामाद शैलेन्द्र के विरूद्ध दहेज माँगने या मार-पीट करने के संबंध में नही लिखाया। यह दहेज माँगने व दहेज के लिये मार-पीट करने के लिये यह मुकदमा पहली बार थाने में लिखाया है। चूंकि इसके पहले दहेज मांगने या मारने पीटने की कोई घटना न हुई इसलिये उसने नही लिखाया।

उक्त गवाह द्वारा शेष जिरह में कहा गया है कि सुनैना देवी ने शादी के तीन साल बाद बताया था कि अतिरिक्त दहेज एक लाख रूपया और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे है। यह जानकारी होने पर बेटी के ससुराल अकेले गये थे। उसे महीना तारीख याद नही है। वहाँ पर दमाद और उनके पिता मिले थे। बातचीत में वहाँ मोहल्ले के किसी व्यक्ति को नही बुलाया था। बेटी के ससुराल वाले बात नही माने थे। इसके संबंध में उसने किसी से शिकायत नही की थी और न ही किसी को बताया था। शादी के चार साल बाद उसकी छोटी बेटी के अवैध संबंध उसके दमाद शैलेन्द्र से हो गये थे। इस बात की जानकारी उसे उसकी बेटी सुनैना देवी के मृत्यु के एक साल पहले हो गयी थी। इस बात की जानकारी होने पर उसने छोटी बेटी को अपने पास बुला लिया था। इस घटना की जानकारी होने के बाद उसने दुबारा अपनी छोटी बेटी को बडी बेटी के ससुराल नही भेजा था वह लोग बुला लिये थे तो वह अपने मन से चली गयी थी। वापस बुलाने के लगभग 4-6-8 दिन बाद चली गयी थी। जब उसकी छोटी बेटी जबरजस्ती चली गयी थी तो किसी से शिकायत नही की थी फिर दो दिन बाद वह वापस बुला लाया था। बडी बेटी का ससुराल और उसके गांव के बीच में करीब पैसठ किलोमीटर की दूरी है। जब वह दो दिन बाद बुला लाया था तो उसके बाद उसकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी के ससुराल नही गयी थी। "**उसकी बड़ी बेटी को दहेज के लिए न मारकर छोटी बेटी से अवैध संबंधों के कारण उसकी हत्या की गयी थी।**" उसकी बेटी के लाश की सूचना उसे दिनांक 02-02-2024 को मिली थी। अनजान आदमी ने फोन किया था। इससे पहले गायब होने की सूचना मिली थी। गायब होने की सूचना लाश मिलने के दो दिन पहले मिली थी। वह बेटी के ससुराल जाकर पता किया था। लाश मिलने के दो दिन पहले गया था। उसके साथ शिवम, दीपक भी साथ में गये थे। बड़ी बेटी के ससुराल में घर के लोग मिले थे जिनमे उनकी सास मिली थी, सुनैना नही मिली थी। उसने बाकी लोगों से सुनैना के बारे में पूछा था तो बताया कि हार खेत में गयी है। टाइम हो रहा था, बगैर बेटी से मिले लौट आया था। बेटी के गायब होने की सूचना थाने में या कही किसी अधिकारी को नही दिया था। बड़ी बेटी की लाश मिलने की सूचना दिनांक 04-02-2024 को मिली थी। सूचना मिलने के बाद वह वहाँ

पहुँचा था जिसमें उसके साथ तीस चालीस आदमी भी गये थे, लोडर व एक ट्रैक्टर से गये थे। दिनांक 04–02–2024 को शाम को छः बजे पंचायतघर पहुँच गये थे। वहाँ पर पुलिस ने उसके सामने लाश की कोई लिखा पढ़ी नही की थी और उसके थाने से वापस आने के बाद उसके सामने लाश को सील किया था। दिनांक 04–02–2024 को लाश की सील मोहर और लिखा पढी नही की थी। वे लोग रात्रि भर लड़की के ससुराल में रूके रहे। दिनांक 04–02–2024 की रात्रि में घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने नही गये थे। दिनांक 05–02–2024 को दरोगा जी के कहने पर व उनके बताने पर उसने थाने में रिपोर्ट लिखायी थी। प्रार्थना पत्र थाने के सामने गुमती में बैठे हुए व्यक्ति से लिखाया था। थाने में प्रार्थना पत्र दीवान जी को दिया था। दीवान जी ने रिपोर्ट तुरन्त लिखी थी लेकिन रिपोर्ट की नकल नही दी थी। यह रिपोर्ट करीब सुबह आठ बजे दिनांक 05–02–2024 को लिखी गयी थी। लिखा पढी की थी। उस समय उससे हस्ताक्षर नही बनवाये थे। उसके सामने उस कागज पर किसी के हस्ताक्षर नही बनवाये थे। लाश उसके सामने पुलिस ले गयी थी। वह साथ में गया था। लाश भैरोघाट गयी थी। **"भैरोघाट में लाश का अंतिम क्रियाकर्म उसके द्वारा किया गया था।"** सील होने के पहले लाश को उसने देखा था। लाश पानी में होने के कारण खाल छूट गयी थी। उसने छोटी बेटी की शादी एक जगह पक्की की थी, वह गांव का नाम नरायन डेरा था। नरायन डेरा में जिस लड़के के साथ शादी पक्की की थी उस लड़के का नाम याद नही है उसके पिता का नाम कैलाश है। वह छोटे को नही पहचानता है और न ही उसकी छोटे से कोई बातचीत हुई। यह बात सही है कि उसने अपनी एफ०आई०आर० में यह बात नहीं लिखायी है कि उसकी छोटी बेटी मैना देवी का आना जाना अपनी बड़ी बहन सुनैना देवी के यहां बना रहा। यह बात सही है कि उपरोक्त बात उसने अदालत में पहली बार लिखाई है।

उपरोक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अपनी मृतका पुत्री व दामाद शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के आपस में प्रेम से रहने व पूर्व में कोई दहेज न मांगने का उल्लेख किया है। गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी छोटी बेटी मैना देवी व शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के आपसी अवैध संबंध व इसकी जानकारी उसे हो जाने का उल्लेख किया है व उसके द्वारा मैना देवी को वापस बुलाने तथा मैना देवी का अपने मन से सुनैना के ससुराल चले जाने का कथन स्पष्ट रुप से किया है। उक्त गवाह ने जिरह में स्पष्ट रुप से बड़ी बेटी को दहेज के लिये न मारकर छोटी बेटी से अवैध संबंधों के कारण हत्या करना कहा है। लड़की(मृतका) के गायब होने व लाश मिलने की सूचना उसे ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से प्राप्त न होकर गाँव के अनजान व्यक्ति से मिली। लाश का क्रियाकर्म भी वादी मुकदमा द्वारा ही किया गया। मुख्य परीक्षा में मैना देवी का पत्नी के रूप में शैलेन्द्र के घर रहने की बात भी कही गयी है।

38. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा मृतका की माँ साक्षी पार्वती को पी०डब्लू०–02 के रूप में परीक्षित कराया गया। अभियोजन द्वारा साक्षी पार्वती जो कि मृतका सुनैना देवी का माँ है, को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

बयान अंतर्गत धारा–161 दं.प्र.सं. में उक्त गवाह द्वारा कहा गया है कि मृतका सुनैना देवी उसकी पुत्री थी। उसने अपनी लडकी सुनैना देवी की शादी दिनांक 27/04/2017 को शैलेश पुत्र कल्लू निषाद नि० कटरी थाना रेउना कानपुर नगर के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर हंसी खुशी से की थी। उसकी लडकी के पति का सही नाम शैलेश है उसे गांव में शैलेन्द्र भी कहते है। शादी के पांच साल तक तो सब कुछ ठीक रहा लडकी सुनैना और दामाद

दोनो आपस में प्रेम से रहते रहे। जब उसकी छोटी लडकी मैना देवी और उसके दामाद के करीब पांच छह महीने से अवैध सम्बन्ध हो गये तब से शैलेन्द्र उर्फ शैलेश अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर उसकी लडकी को मारपीट करने लगा व प्रताड़ित करने लगा। और कहने लगा कि एक लाख रुपया अपने मायके से लेकर नही आओगी तो उसे जान से मार डालेंगे। उसकी लडकी सुनैना को ठीक से नही रखता था। दिनांक 02/02/2024 को लडकी के ससुराल के गांव से किसी ने फोन किया कि उसकी लडकी कहीं चली गयी है। तब उसके पति ग्राम कटरी गये तो सुनैना के ससुराल वालों ने बताया कि वह भाग गयी है। वे लोग उसकी खोज बीन करें। वे लोग खोजबीन करते रहे और जब उसके पति घर पहुंचे तो दिनांक 04.02.2024 को लडकी की ससुराल से फोन आया कि उसकी लडकी मछुआरों के जाल में फंस गयी है और जमुना में उसकी लाश मिली है। उसकी लडकी सुनैना को उसके पति शैलेन्द्र उर्फ शैलेश कुमार व जेठ हीरालाल व पन्नालाल व उसकी छोटी लडकी मैना देवी ने मिलकर मारकर जमुना में फेंक दिया है। लडकी के मरने की सूचना पाकर वह और उसका पूरा परिवार व गांव वाले घटनास्थल पर गये थे। घटना की रिपोर्ट उसके पति ने थाने पर लिखवायी थी। उसकी लड़की की लाश का पंचायतनामा भरवाया था।

39. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा साक्षी महिला कां० नीरज को पी०डब्लू०–03 के रूप में परीक्षित कराकर बयान अंकित कराये गये हैं।

उक्त गवाह औपचारिक गवाह है जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी० कायमी को साबित किया गया है। उक्त गवाह द्वारा घटना के तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

40. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा साक्षी आशीष पटेल, नायब तहसीलदार को पी०डब्लू०–04 के रूप में परीक्षित कराया गया। साक्षी आशीष पटेल द्वारा जिरह में कहा गया है कि पंचायतनामा भरते समय शव को उसने देखा था। मृतका के शव पर चोट का कोई निशान मौजूद नही था। पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान पंचो की राय आयी थी कि मृतका की मृत्यु पानी में डूबकर होना प्रतीत होती है। पंचो की राय से उसकी राय भी मेल खाती है। इस बात का उल्लेख भी उसने पंचायतनामा में किया था। लेकिन यह बात सही है कि पंचायतनामा पर मु०अ०सं० नही लिखा है। पंचायतनामा में जो पंच बनाये गये थे वो सभी उसी गाँव कटरी के ही थे। उसे इस बात की जानकारी नही है कि पंचायतनामा भरते समय मृतका के मायके के लोग मौजूद थे या नही। उपनिरीक्षक द्वारा एस.डी.एम घाटमपुर को सूचित किया गया था और एस.डी.एम. साहब द्वारा उसे मौके पर पंचायतनामा करने के लिये भेजा गया था। मृतका का शव सड़ा–गला नही था और न ही कोई बदबू आ रही थी। वह यह नही बता सकता कि पंचायतनामा भरने के कितने पूर्व मृतका की मृत्यु हुई होगी।

41. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा साक्षी डा० आर०एस० यादव, पोस्टमार्टमकर्ता को पी०डब्लू०–05 के रूप में परीक्षित कराया गया। साक्षी डा० आर०एस० यादव द्वारा जिरह में कहा गया है कि पोस्टमार्टम करने के पहले सील बंद बाडी को खोला गया था तब मृतका के पहने हुए कपडों को उसने देखा था। जब उसने डेड बाडी खुलवायी थी तब उसने कपडों को किस कलर के पहने थे उसने अपनी रिपोर्ट में इसलिए अंकित नही किया था क्योंकि शव के फोटोग्राफ लिये जा चुके थे जो शामिल पत्रावली है। मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट

नही थी। मृतका के अमाशय में केवल 50ml पानी जैसा तरल पदार्थ मौजूद था व कोई भोजन मौजूद नही था। उसने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नही किया था। उसके शरीर पर रेत के कण एवं शरीर के अंदर श्वासनलियों में मिट्टी व रेत के कण मौजूद थे।

42. एफ०एस०एल०, झांसी के अनुसार विवरण विसरा का अंश 1 स्टमक का टुकड़ा मय कंटेटस, 2–छोटी आंत का टुकड़ा, 3–लिवर का टुकड़ा पित्ताशय सहित, 4– दोनों किडनी के टुकड़े, 5– स्पलीन का टुकड़ा(सभी एक समुद्रित वायल से) अन्य वस्तुयें, 6 – परिरक्षी नमक का घोल, 7–प्लूरल कैविटी फ्लुइड कंटेट(सभी एक समद्रित वायल से) परीक्षण परिणाम विसर को भागों (15) एवं वस्तु (7) व (8) में कोई रासायनिक विष नहीं पाया गया।

43. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा साक्षी देवनरायन को पी०डब्लू०–06 के रूप में परीक्षित कराया गया। जिसने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी छोटी भतीजी का आना जाना शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के यहाँ हो गया था। अभियोजन द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

बयान अंतर्गत धारा–161 दं.प्र.सं. में उक्त गवाह द्वारा कहा गया है कि मृतका के पिता रामबाबू उसके मौसेरे भाई है। रामबाबू ने अपनी लड़की सुनैना की शादी दिनांक 27/04/2017 को शैलेश पुत्र कल्लू निषाद नि० कटरी थाना रेउना कानपुर नगर के साथ की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। शादी के पांच साल तक सब कुछ ठीक रहा। लडकी दोनो आपस में प्रेम से रहते थे। लेकिन जब रामबाबू की छोटी लडकी मैना देवी और सुनैना के पति के बीच अवैध सम्बन्ध हो गये तब से शैलेन्द्र उर्फ शैलेश अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर सुनैना के साथ मारपीट करने लगा व प्रताड़ित करने लगा। और कहने लगा कि एक लाख रुपया अपने मायके से लेकर नहीं आओगी तो उसे जान से मार डालेंगें। ये बात रामबाबू ने उसे बतायी थी कि जब से मैना वहां गयी है तब से वह अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपया की मांग कर रहा है। दिनांक 04.02.2024 को सूचना मिली की सुनैना की लाश जमुना में मिली है तो वह रामबाबू के साथ घटनास्थल पर गया था वहां उसकी लाश का पंचायतनामा पुलिस द्वारा भरा गया था।

साक्षी देवनरायन द्वारा जिरह में कहा गया है कि सुनैना की लाश ग्राम कटरी में जमुना नदी में मिली थी। उसे लाश मिलने की सूचना रिश्तेदारी के माध्यम से मिली थी। जब वह पहुँचा था तो रामबाबू, शिवम व गांव के भी अन्य लोग मौजूद थे। उसके पहुँचने के पहले पुलिस मौजूद थी। उसे इस बात की भी जानकारी नही है कि इस घटना की लिखित शिकायत थाने में उसके भाई रामबाबू ने लिखायी थी या नही। वह पहली बार सुनैना की ससुराल शादी के समय गया था और उसके बाद मृत्यु की सूचना पर गया था। सुनैना का उसके यहाँ शादी के बाद कभी भी आना जाना नही था। सुनैना के एक बिटिया व एक लड़का था। बच्चे अपने पिता के घर में ही रह रहे है। सुनैना को कोई भी बीमारी उसकी जानकारी में नही थी। शादी के तीन चार साल तक सुनैना अपनी ससुराल में खुश थी। मैना शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के घर में कितने दिन रहती थी इसकी उसे जानकारी नही है क्योंकि उसका वहाँ आना जाना नही था। रामबाबू से उसकी बात हालचाल लेने के लिए होती थी। पंचायतनामें की कार्यवाही के बाद से वह सुनैना की ससुराल फिर कभी नही गया। मैना की शादी नही हुयी, शादी तय हुयी थी इसी दौरान सुनैना की मृत्यु हो गयी थी। यह

बात सही है कि रामबाबू ने जो उसे बताया था और जो उसने देखा था वही पुलिस को बताया था।

उक्त गवाह द्वारा भी शादी के तीन चार साल तक सुनैना का अपने पति के साथ ससुराल में खुश रहने की बात कही गयी है। व मैना का सुनैना के घर आने जाने की बात भी इस गवाह द्वारा स्वीकार की गयी है। मैना की शादी टूटने का कथन भी किया गया है जो सुनैना की मृत्यु की वजह से नहीं हो पायी।

44. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा साक्षी शिवम उर्फ शिवओम को पी०डब्लू०-07 के रूप में परीक्षित कराया गया। साक्षी शिवम उर्फ शिवओम द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि शादी के पाँच साल बाद तक सब कुछ ठीक ठाक था। उसके एक भांजा व एक भांजी भी है। सुनैना अपनी ससुराल से साल छः महीने में उसके घर पर आती जाती थी। उसकी बहन ने अतिरिक्त दहेज मांगने की कोई भी बात उसे नही बतायी थी। अभियोजन द्वारा गवाह का पक्षद्रोही साबित किया गया।

बयान अंतर्गत धारा-161 दं.प्र.सं. में उक्त गवाह द्वारा कहा गया है कि मृतका सुनैना देवी उसकी बहन थी। उसने अपनी बहन सुनैना देवी की शादी दिनांक 27/04/2017 को शैलेश पुत्र कल्लू निषाद नि० कटरी थाना रेउना कानपुर नगर के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर हंसी खुशी से की थी। उसकी बहन के पति का सही नाम शैलेश है उसे गांव में शैलेन्द्र भी कहते है। शादी के पांच साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसकी बहन सुनैना और शैलेन्द्र उर्फ शैलेश दोनो आपस में प्रेम से रहते रहे। जब उसकी छोटी बहन मैना देवी और उसके जीजा शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के करीब पांच छह महीने से अवैध सम्बन्ध हो गये तब से शैलेन्द्र उर्फ शैलेश अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर उसकी बहन को मारपीट करने लगा व प्रताड़ित करने लगा। और कहने लगा कि एक लाख रुपया अपने मायके से लेकर नही आओगी तो उसे जान से मार डालेगा और उसकी बहन सुनैना को ठीक से नही रखता था। दिनांक 02/02/2024 को सुनैना के ससुराल के गांव से किसी ने फोन किया कि वह कहीं चली गयी है। तब वह और उसके पिताजी दोनो लोग कटरी गये तो सुनैना के ससुराल वालों ने बताया कि वह भाग गयी है। वे लोग उसकी खोजबीन करें। वे लोग खोजबीन करते रहे और जब वे लोग घर पहुंचे तो दिनांक 04.02.2024 को लडकी की ससुराल से फोन आया कि सुनैना मछुआरों के जाल में फंस गयी है और जमुना में उसकी लाश मिली है। उसकी बहन सुनैना को उसके पति शैलेन्द्र उर्फ शैलेश कुमार व जेठ हीरालाल व पन्नालाल व उसकी छोटी बहन मैना देवी ने मिलकर मारकर जमुना में फेंक दिया है। उसके मरने की सूचना पाकर वह और उसका पूरा परिवार व गांव वाले घटनास्थल पर गये थे। घटना की रिपोर्ट उसके पिताजी ने थाने पर लिखवायी थी। उसकी बहन की लाश का पंचायतनामा पुलिस ने भरवाया था।

उक्त गवाह द्वारा जिरह में कहा गया है कि उसकी बहन सुनैना की लाश दिनांक 04-02-2024 को जमुना नदी में ग्राम कटरी में मिली थी। लाश मछुवारों के जाल में फंसी थी। इस घटना की रिपोर्ट उसके पिताजी रामबाबू निषाद ने थाने पर कराया थी लेकिन उन्होने प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था इसकी उसे जानकारी नही है। उसकी सगी छोटी बहन का नाम मैना देवी है।इस मुकदमें में उसकी सगी छोटी बहन मैना देवी भी मुल्जिम है और तारीख पर आती है। तारीख पर वे लोग ही लेकर आते है। उसकी बहन मैना देवी सुनैना की ससुराल में आती जाती थी।पुलिस ने उसकी

बहन का पंचायतनामा उसके सामने नही किया था। उसकी बहन का शव बरामद होने के बाद वह कटरी में 18–20 घण्टे ही रुका था। उसकी फोन पर बहन सुनैना से कभी बातचीत नही होती थी। जब तक उसकी बहन सुनैना जिंदा थी तब तक ससुराल की कोई भी बात उससे नही की थी। वह आज तक स्वयं नही जान पाया है कि उसकी बहन सुनैना की मृत्यु कैसे हुयी। उसके भांजे व भांजी आज भी कटरी में अपने बाबा व ताऊ के साथ रह रहे हैं।

उक्त गवाह के अनुसार उसकी सगी बहन मैना देवी को हर तारीख पर अभियुक्त शैलेन्द्र के परिवार वाले ही लाते हैं। मैना देवी सुनैना की ससुराल आती जाती थी।

45. अभियोजन द्वारा साक्षी पी०डब्लू०-2, 6 व 7 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

46. साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने के संबंध में विधि व्यवस्थाः- **2013 (1) सी०सी०एस०सी० पृष्ठ 43 (सुप्रीम कोर्ट) गुड्डूराम बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य** के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के विचारण पर विधि यह है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य को पूर्ण रूप से केवल इस कारण ही नामंजूर किये जाने की आवश्यकता नहीं है कि वह पक्षद्रोही हो गया है। जैसे भी हो, न्यायालय को उसके परिसाक्ष्य को स्वीकार करने और सम्भव विस्तार तक उसकी सम्पुष्टि की अपेक्षा करने में सावधान होना चाहिए।

47. **(1976) 1 एस०सी०सी० पृष्ठ 31 करूप्पन्ना शेवर बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पक्षद्रोही साक्षी का परिसाक्ष्य नामंजूर नहीं किया जा सकेगा।

48. **(1976) 1 एस०सी०सी० पृष्ठ 389 भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य** के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया थाः- "किन्तु यह तथ्य कि न्यायालय ने अभियोजन को अपने ही साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दे दी थी, इस प्रकार उसे इस तरह मानते हुए, जो कुछ पक्षद्रोही साक्षी के रूप में वर्णित किया जाता है, उसके साक्ष्य को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करता। साक्ष्य विचारण में ग्राह्य बना रहता है और उसके परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधारित करने के लिए कोई विधि वर्जन नहीं है, यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा उसकी सम्पुष्टि हो जाती है।" उपरोक्त आधारभूत सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति **भज्जू बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2012) 4 एस०सी०सी० पृष्ठ 327 और रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 5 एस०सी०सी० पृष्ठ 777** में की गई है।

49. **2012 (4) सी०सी०एस०सी० पृष्ठ 2120 (एस०सी०) सत्य नारायणन बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित एवं ए०आई०आर० 2012 एस०सी० पृष्ठ 3539 श्यामल घोष बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि केवल इस कारण कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, उसके साक्ष्य को पूर्णरूप से नामंजूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य शब्दों में, पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर भी कम से कम उस सीमा तक विश्वास व्यक्त किया जा सकता है, जिस सीमा तक वह अभियोजन मामलें का समर्थन करता था। किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य केवल इस कारण अभिलेख से समाप्त नहीं हो जाता कि वह पक्षद्रोही हो गया है और तब उसके अभिसाक्ष्य की परीक्षा अपेक्षाकृत अधिक सतर्कतापूर्ण ढंग से यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि किस

सीमा तक उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है।

50. **2005 इला० द० निर्णय पृष्ठ 511 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सर्वजीत तथा अन्य एवं 2006 (2) जे०आई०सी० पृष्ठ 94S (सुप्रीम कोर्ट) एस० सुर्दशन रेड्डी तथा अन्य बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश** के मामलों में माननीय न्यायालयों ने यह अवधारित किया है कि "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" का सिद्धान्त भारतवर्ष में लागू नहीं होता है।" न्यायालय के मत से किसी साक्षी द्वारा किसी तथ्य विशेष के सम्बन्ध में असत्य कथन कर देने से ही न्यायालय को उसे अस्वीकृत करने के लिए सुगम रास्ते पर नहीं भाग पड़ना चाहिए। अन्य बिन्दुओं पर उसकी साक्ष्य सत्य है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा की जानी चाहिए। न्यायालय का समाधान हो जाने पर किसी साक्षी का साक्ष्य भाग स्वीकर किया जा सकता है और शेष साक्ष्य अस्वीकार किया जा सकता है। **साक्षी को तभी पूर्णतः अस्वीकृत किया जा सकता है जब असत्य के दलदल में सत्य के पदचिन्हों की पहचान ही कठिन हो।**

51. उक्त अभियोजन कथानक के संबंध में अभियोजन द्वारा साक्षी/विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त रंजीत कुमार को पी०डब्लू०–08 के रूप में परीक्षित कराया गया। साक्षी डा० आर०एस० यादव द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि वादी मुकदमा रामबाबू का बयान अंकित करते हुए मौके पर जाकर वादी की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी अपने हस्तलेख में तैयार किया था जो पत्रावली में शामिल मिसिल है।

उक्त गवाह द्वारा जिरह में कहा गया है कि वादी मुकदमा ने उसे बताया था कि उसकी पुत्री सुनैना की गायब होने की जानकारी उसे दिनांक 02.02.2024 को हो गयी थी। उसने वादी मुकदमा से यह नहीं पूछा था कि उसकी बेटी सुनैना की गुमशुदगी की सूचना थाने में दी थी या नहीं। उसने गुमशुदगी के बारे में क्यों नहीं पूछा इसका कोई कारण वह नहीं बता सकता है। जिस समय पंचायतनामा मृतका का भरा गया उस समय मुकदमा कायम नहीं हुआ था। दिनांक 05.02.2024 को शव विच्छेदन के लिये भेजे जाने तक मुकदमा कायम नहीं हुआ था। दिनांक 04.02.2024 को फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा फोटोग्राफ प्राप्त किये गये। गवाह पंचानों के द्वारा मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिये पोस्टमार्टम की सलाह दी थी। गवाह पंचानों द्वारा केवल पंचायतनामा भरे जाने की बात कही थी। गवाह पंचानों ने अपने बयानों में दहेज आदि मांगने का कोई जिक्र उसके सामने नहीं किया था। उसे अपनी विवेचना के दौरान यह जानकारी मिली थी कि शैलेश अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता था। जिन लोगों ने मृतका का शव जमुना से निकाला था उन लोगों के नाम ज्ञात नहीं हो पाये थे इसीलिये उनका बयान नहीं हो पाये थे। मृतका की लाश बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी भी उसने वादी की मौजूदगी व उसकी निशानदेही मौके पर बनाया था। उसे इसकी जानकारी नहीं है कि वादी मुकदमा लाश की बरामदगी के समय उपस्थित था अथवा नहीं। उसके किसी गांव वाले से मृतका कब गायब हुयी और कैसे गायब हुयी इसके संबंध में बयान नहीं लिया। उसे मैना की माँ पार्वती, भाई शिवम व चाचा देवनारायण ने यह नहीं बताया था कि मैना की शादी तय हो गयी। वादी मुकदमा ने शैलेन्द्र उर्फ शैलेश द्वारा दहेज मांगने और मृतका सुनैना को पीड़ित करने की कोई तारीख व समय नहीं बताया था। उसे वादी मुकदमा ने यह भी नहीं बताया था कि दहेज और मारपीट की सूचना मिलने पर क्या किया गया। अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग वादी ने बतायी थी परन्तु मांग के लिये तारीख विशेष का कोई जिक्र वादी ने नहीं किया था। डाक्टर आर०एस० का बयान उसके

द्वारा लिया गया था। डाक्टर द्वारा मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।

उक्त गवाह औपचारिक गवाह है जिसके द्वारा मामले की विवेचना की गयी है। उक्त गवाह द्वारा मामले के तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। उसके द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

52. जहां तक 313 दं०प्र०सं० का प्रश्न है। उनके ऊपर गलत आरोप लगा है। साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उनके विरुद्ध रंजिशन गांव वालों के बहकावे में आकर मुकदमा लिखाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त अभिकथन के समर्थन साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं।

53. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी डी०डब्लू०–1 राधेश्याम को परीक्षित कराया गया है। साक्षी डी०डब्लू०–1 राधेश्याम द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि शैलेन्द्र के भाई हीरालाल, शैलेन्द्र, वह व मोहल्ले के दो तीन लोग सुनैना को ढूढने निकले थे। सुनैना के न मिलने पर मायके फोन करके जानकारी की गयी कि अगर सुनैना वहाँ हो तो बताये, सुबह घर से निकली है घर वापस नही आयी। फिर उसी दिन सुनैना के पिता जी कटरी आये थे फिर थाने पर सूचना देने गये थे तो कहा गया कि जाओ अपनी रिश्तेदारियों में तलाश करो। दूसरे दिन पुन: वह, हीरालाल व शैलेन्द्र थाने गये थे परन्तु दूसरे दिन भी सुनैना की गुमशुदगी दर्ज नही की गयी थी। तीसरे दिन वे लोग फिर थाने पहुँच गये थे तभी थाने पर ही उन लोगो के पास सूचना आ गयी थी कि सुनैना की लाश नदी में मछुवारों के जाल में फंस गयी है। यह जानकारी होने पर शैलेन्द्र को थाने पर रोककर बाकी लोग थाने से वापस चले आये थे।

उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कहा गया है कि वह शैलेन्द्र के गांव का रहने वाला है। सुनैना देवी की लाश नदी में मिली थी। शैलेन्द्र और वह एक ही बिरादरी का है। रिस्ते में शैलेन्द्र उसका भाई लगता है। आज उसे गवाही के लिए पुलिस से सम्मन नही मिला था। आज वह शैलेन्द्र के पिता जी के साथ उनके कहने पर आया है। सुनैना दिनांक 02-02-2024 को गायब हुयी थी तब वह भी घर वालों के साथ में ढुढवाता रहा था। सुनैना की छोटी बहन मैना को उसने रहते नही देखा था तिथि त्योहार पर आते जाते देखा था। सुनैना देवी के दो बच्चे थे। दोनो बच्चे आज भी गांव में अपने दादी बाबा के साथ रह रहे है।सुनैना देवी की लाश गांव कटरी में ही नदी के तीर पर मिली थी। शैलेन्द्र और सुनैना के बीच में घर के अंदर क्या होता था इसकी उसे कोई जानकारी नही है।

54. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी डी०डब्लू०–2 गयावती को परीक्षित कराया गया है। साक्षी डी०डब्लू०–2 गयावती द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि सुनैना की मृत्यु हो चुकी है। सुनैना लैट्रीन गयी थी और वही जमुना जी में डूब के मर गयी थी। जिस दिन सुनैना गायब हुयी थी उस दिन सुबह लगभग 06:00 बजे हुयी थी। सुनैना ने बोला था कि चलो चाची लैट्रीन चले लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था।

उक्त गवाह द्वारा जिरह में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुनैना उसके सामने जमुना नदी में नहीं डूबी थी। उक्त गवाह द्वारा जिरह में यह भी कहा गया है कि सुनैना जब घर से निकली थी तब उसकी बातचीत नहीं हुयी थी और न ही कोई जानने पाया था।

उपरोक्त दोनों गवाह द्वारा मृतका के मरने व उसके कारण का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है जो अभियोजन कथानक को गलत साबित करे।

55. बचाव पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के घटनास्थल पर न होने व मृतका की मृत्यु शौचक्रिया के दौरान जमुना नदी में डूबने से होने का अभिकथन किया गया है परन्तु बचाव पक्ष इस संदर्भ में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतः असफल रहा है कि घटना घटित होने के समय अभियुक्तगण अपने घर में न होकर कहाँ थे व किन परिस्थितियों में घटना घटित होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए।

56. अभियुक्तगण को घटना स्थल से अन्यन्त्र (प्ली आफ एलीवी) को अपनी साक्ष्य से सिद्ध करना होता है। जैसा कि विधि व्यवस्था **2015 सी.आर.एल. जे. 2041 सुप्रीम कोर्ट विजयपाल बनाम स्टेट आफ जी.एन.सी.टी. दिल्ली** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि प्ली आफ एलीवी में अभियुक्तगण को अपनी ऐसी साक्ष्य से सिद्ध करना होता है कि **जिससे उनकी उपस्थिति की सम्भावना घटना स्थल पर न हो।**

57. किन्तु बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे उनकी घटना स्थल पर घटना के समय उपस्थिति सम्भव न हो।

58. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार तथा विधि व्यवस्था **2015 ए.आई.ए.आर. (किमनल) 201 सुप्रीम कोर्ट देसीनबाई उर्फ शान्ती बाई बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत तथ्यों को सिद्ध करने का भार जो किसी व्यक्ति विशेष ज्ञान में है, उस व्यक्ति पर होता है जो यदि अभियुक्त उन तथ्यो का उचित स्पष्टीकरण नही देता है तो यह अभियुक्त के विरुद्ध same it self provides an additional link in the chain of circumstances provided against him. जिस व्यक्ति के ज्ञान में विशिष्ट तथ्य होता है उसी व्यक्ति को उन्हे सिद्ध करने का भार है।

59. **Rohtash kumar vs State of Haryana 2013(14) SCC 434** In cases where the accused was last seen with deceased victim just before the incidence it becomes the duty of accused to explain the circumstances. Unless which the death of victim accused.

60. उपरोक्त तथ्यों व साक्षियों के बयान से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में अपनी पुत्री सुनैना देवी का विवाह दिनांक 28.04.2017 को किया गया था। शादी के समय से लेकर चार–पाँच साल तक दोनों पति–पत्नी प्रेम से रहे। अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश द्वारा न तो कभी दहेज की मांग की गयी और न ही उसे प्रताड़ित ही किया गया। वादी मुकदमा की छोटी पुत्री मैना देवी के सुनैना के ससुराल आने जाने व अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के साथ अवैध संबंध हो जाने के कारण उसने दहेज की मांग की व अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी ने उसे मारकर जमुना नदी में फेंक दिया। जिसकी लाश मछुवारों के जाल में फंसने से मिली यह कथन किया गया है। परन्तु यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा

शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी के विरुद्ध दर्ज करायी थी। जिसमें मैना देवी उसकी स्वयं की छोटी पुत्री थी। अभियुक्तगण हीरालाल व पन्नालाल के विरुद्ध साक्ष्य न पाये जाने के कारण उनका नाम विवेचना से हटा दिया गया। जिसके लिये गाँव के ही लोगों रामफूल, श्रीमती रामबेटी,सैय्यद्दीन, श्रीमती रामरती, फूल सिंह, रामकिशुन, रामगोपाल, श्रीमती भिखनी, श्रीमती रामजानकी, राधेश्याम, रामखिलावन ने शपथ पत्र दिया। जिनका बयान भी विवेचक द्वारा लिया गया। परन्तु उपरोक्त गवाहों ने अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी के लिये कोई अनुकूल टिप्पणी अन्य अभियुक्तगणों के साथ नहीं की। यह भी अत्यंत ध्यान देने योग्य है कि सुनैना के गायब होने की सूचना वादी को दिनांक 02.02.2024 को मिली तथा वह सूचना भी ससुरालीजन या शैलेन्द्र उर्फ शैलेश द्वारा न देकर अनजान गाँव के व्यक्ति ने दी। दो दिन बाद जमुना में मछुवारों के जाल में सुनैना की लाश फंसने की सूचना भी गाँव वालों द्वारा ही दी गयी। इसकी सूचना भी ससुरालीजन या शैलेन्द्र उर्फ शैलेश द्वारा नहीं दी गयी। सुनैना के गायब होने से लेकर उसकी लाश मिलने तक अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश ने कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, न ही रिपोर्ट ही दर्ज करायी और न ही सुनैना के पिता को ही सूचित किया। सुनैना की लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा लाश की चमड़ी उधड़ी हुयी, नाखून ढीले, होठ फूले हुये, भोजन नली व श्वासनली में मिट्टी व रेत के कण मौजूद, फेफड़ों में बबल व पानी मौजूद, काई का जमाव पाया गया व मृत्यु करीब एक सप्ताह पहले की कही गयी। जबकि मृतका के गायब होने की तिथि 02.02.2024 व शव प्राप्ति की तिथि 04.02.2024 तथा पोस्टमार्टम होने व रिपोर्ट लिखाने की तिथि 05.02.2024 है। जो एक सप्ताह की समयावधि को पूरा नहीं करती है। जिससे मृतका की मृत्यु गायब होने की तिथि से पूर्व सम्भावित होती है। किन परिस्थितियों में अभियुक्तगण द्वारा मृतका के गायब होने की सूचना उसके पिता या पुलिस को नहीं दी गयी इसका कोई स्पष्टीकरण बचाव पक्ष द्वारा नहीं दिया गया। मृतका के शरीर पर त्वचा के उधड़े होने से शरीर की चोटों की स्थिति भी पता नहीं लगायी जा सकती कि चोट थी या नहीं। जैसा कि स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश की शादी मृतका सुनैना के साथ हुयी थी व उसका पति था। चार पाँच साल भली प्रकार से प्रेमपूर्वक रहने के उपरांत अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश का अवैध संबंध मैना देवी जो कि मृतका की सगी छोटी बहन थी के साथ हो गया। मैना की शादी तय हो गयी थी जिसकी पुष्टि स्वयं अभियुक्ता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. में की गयी जो सुनैना की मृत्यु के उपरांत नहीं हुयी। वादी मुकदमा जो मृतका व अभियुक्ता मैना देवी का पिता है के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुख्य परीक्षा व जिरह में कहा गया है कि अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व अभियुक्ता मैना देवी के मध्य अवैध संबंधों के कारण दहेज की मांग की गयी व उसे उन दोनों के द्वारा मार दिया गया। जिरह में उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से सुनैना की हत्या अवैध संबंधों के कारण होना कहा गया है, दहेज के कारण नहीं। उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इससे पूर्व अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की, इसलिये उसने कोई रिपोर्ट नहीं की। अभियुक्ता मैना देवी की सुनैना की मृत्यु के पश्चात गिरफ्तारी भी अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के घर से हुयी है व वर्तमान में अभियुक्ता मैना अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश की पत्नी के रूप में रहना भी कहा गया है। यहाँ यह अत्यंत गम्भीर तथ्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाला सिर्फ मृतका का पिता ही नहीं बल्कि अभियुक्ता मैना का भी पिता है व कोई भी पिता कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो अपनी पुत्री के लिये किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध की रिपोर्ट व अपनी ही पुत्री की हत्या में संलिप्तता की रिपोर्ट दर्ज नहीं करायेगा। यहाँ वादी ने न सिर्फ अपनी पुत्री व दामाद के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके अवैध संबंधों व अपनी पुत्री सुनैना की हत्या कारित करने के विषय में

लिखायी है, बल्कि अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में भी इस तथ्य का समर्थन व पुष्टि की है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पी०डब्लू०–6 व 7 के द्वारा भी अभियुक्ता मैना देवी का अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के घर आना जाना कहा गया है। जहाँ तक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी डी०डब्लू०–1 का प्रश्न है, के द्वारा सुनैना की गुमशुदगी अभियुक्तगणों द्वारा दर्ज नहीं कराये जाने का कथन किया गया है। इसके साथ ही उसके स्वयं को शैलेन्द्र उर्फ शैलेश का भाई होना कहा गया है व वह अभियुक्त के पिता के कहने पर गवाही देने आया है का भी कथन किया गया है। साक्षी डी०डब्लू०–2 द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि उसको सुनैना की लाश मिलने के बाद उसे सुनैना की मृत्यु की जानकारी हुयी। सुनैना जब घर से निकली थी तो कोई जानने नहीं पाया था तथा अभियुक्त उसका भतीजा लगता है का अभिकथन किया है। जहाँ तक सुनैना के जमुना में डूबने का कथन है इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मृतका वहाँ(ससुराल) में पिछले करीब 7 वर्ष से रह रही थी। तथा सुबह शौच के लिये जाना रोज का उपक्रम था। बचाव पक्ष यह भी स्थापित नहीं कर पाया कि घटना वाली तिथि पर मृतका कब घर से निकली थी, किसके साथ निकली थी व यह भी स्थापित करने में असफल रहा है कि वह किस दिन निकली थी। स्वयं बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्थापित है कि मरने से पूर्व तक सुनैना अपने ससुराल में थी। व सुनैना की छोटी बहन मैना का आना जाना सुनैना के ससुराल में था। स्वयं अभियुक्ता मैना के पिता द्वारा मैना व अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश के मध्य अवैध संबंध का स्पष्ट कथन किया गया है। व सुनैना की हत्या का कारण दहेज नहीं बल्कि छोटी बेटी के साथ अवैध संबंध कहा गया है।

61. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी के विरूद्ध धारा–302/34, 201 भा.दं.सं. में आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, जबकि धारा–498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी अंतर्गत धारा–302/34, 201 भारतीय दण्ड संहिता में दोष सिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी को धारा 302/34, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्ता मैना देवी जमानत पर है। उसके जमानतनामे व बंधपत्र निरस्त कर जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ शैलेश जेरे हिरासत उपस्थित है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी को अविलम्ब न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 24.07.2026 को पेश हो।

(पारुल श्रीवास्तव)

दिनांकः 22.07.2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)
कोर्ट सं०–3, कानपुर देहात।
ID.U.P.–6338

दिनांक–24.07.2026

लंच बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। सजा के बिन्दु पर अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा समस्त परिस्थितियों व तथ्यों पर विचार किया।

सिद्धदोष अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी के विद्वान अधिवक्ता ने सजा के प्रति नरमी बरतने व उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सिद्धदोष व्यक्ति पारिवारिक कम उम्र के व्यक्ति हैं और उनके छोटे–छोटे बच्चे व वृद्ध माता पिता हैं। कठोर दण्ड उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। यह उनका प्रथम अपराध है। अतः सजा में नरमी बरतने की कृपा की जाए। जबकि विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि उसे अधिकतम कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार में उसे निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

सिद्धदोष अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302/34 के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को **आजीवन** कारावास एवं **बीस–बीस हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण **दो–दो वर्ष** का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

सिद्धदोष अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–201 के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को **पाँच–पाँच वर्ष** के कारावास एवं **पाँच–पाँच हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को **छः–छः माह** का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

सिद्धदोष अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश व मैना देवी द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। उपरोक्त अभियुक्तगण की समस्त सजायें साथ–साथ चलेगी।

सजा भोगने हेतु सिद्ध दोषीगण का दोषसिद्धि वारण्ट बनाकर जिला कारागार, निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब भेजा जाए।

निर्णय की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

(पारुल श्रीवास्तव)
दिनांकः 24.07.2026
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०),
कोर्ट सं०–3, कानपुर देहात।
ID.U.P.–6338

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(पारुल श्रीवास्तव)
दिनांकः 24.07.2026
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०),
कोर्ट सं०–3, कानपुर देहात।
ID.U.P.–6338

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.24 16:46:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court